कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2025/ 878 रायपुर, दिनांक : 07/01/2025

संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु जिले की स्वीकृत आर.ओ.पी. वर्ष 2024–25 के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति 2018 में दिये गये निर्देशानुसार एवं मिशरन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2024/1065/2048 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 04.11.2024 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत जिला स्तरीय संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। इस हेतु इच्छुक उम्मीदवार आवेदन दिनांक 15.01.2025 से 04.02.2025 तक कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक विभागीय वेबसाईट **https://govthealth.cg.gov.in/RecRaipurCont2025** पर ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। किसी अन्य माध्यम से अथवा सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :–

Sr. No.	Name of post	Name of programme	Salary per Month	Vacant	UR	SC	ST	OBC	Qualification and Experience
1	Nursing Officer (DH)	NMHP	16500	8	5 (F-1)	1	1	1	BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council
2	Nursing Officer	Trauma & Emergency	16500	6	3	1	1	1	BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council
3	Sr. Nursing Officer	NMHP	31500	4	01	01	01	01	एम.एस.सी साइकेट्रिक नर्सिंग अथवा बी.एस.सी नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग (नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड अनिवार्य)
4	Nursing Officer - NMHP	NMHP	16500	1	-	-	01	-	बी.एस.सी नर्सिंग के साथ नर्सिंग रजिस्ट्रेश का जीवित पंजीयन अनिवार्य
5	Dental Assistant	NOHP	12000	1	-	-	01 (back log)	-	Matriculation from recognized board. Preference can be given to candidates done 1 Year course of Lab Technician (Dental Work//Hygienist Or Dental Technician from Medical Collage. Experience : 2 Year Experience in Dental Collage Clinic only Govt Health Facility Experience should be considered.
6	Community Health Officer	AAM/HWC	16500	5	2	1	1	1	BSc.Nursing Certificate in Community Health Intergrated Course with Live Registration Councill Or Post Basic BSc.Nursing Certificate in Community Health Intergrated Course with Live Registration Councill
7	Psychologist – Clinical (NMHP) DH LEVEL	NMHP	31500	1	-	-	1	-	एम.फिल साइकोलॉजी, यदि योग्यता ना होने की दशा में एम.एस.सी/एम.ए. साइकोलॉजी (रेगुलर) को प्राथमिकता दिया जावे। यदि जिलो में एम.फिल साइकोलॉजी अभ्यार्थी नही मिलने की दशा में एम.एस.सी/एम.ए. साइकोलॉजी (रेगुलर) को प्राथमिकता दिया जावे।
8	Psychologist – Clinical (NMHP) CHC LEVEL	NMHP	23000	7	4 (F-1)	1	1	1	एम.फिल साइकोलॉजी, यदि योग्यता ना होने की दशा में एम.एस.सी/एम.ए. साइकोलॉजी (रेगुलर) को प्राथमिकता दिया जावे। यदि जिलो में एम.फिल साइकोलॉजी अभ्यार्थी नही मिलने की दशा में एम.एस.सी/एम.ए. साइकोलॉजी (रेगुलर) को प्राथमिकता दिया जावे।
9	Social Worker - NMHP	NMHP	22000	1	-	-	1	-	एम.फिल साइकेट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जावेगा यदि उक्त योग्यता न होने की दशा में, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर (रेगुलर) को प्राथमिकता दी जाएगी।

Sr. No.	Name of post	Name of programme	Salary per Month	Vacant	UR	SC	ST	OBC	Qualification and Experience
10	Secretarial (C.R.O) Assistant - NMHP	NMHP	13650	1	-	-	1	-	Graduate with One year Computer Diploma
11	Secretarial (C.R.A) Assistant - NMHP	NMHP	13650	1	-	-	1	-	Graduate with One year Computer Diploma
12	Radiographer	NHM	15000	5	2	1	1	1	1. 10+2 पध्दति में 12 वीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. क्ष–किरण तकनीशियन/रेडियोग्राफर का छ. ग. शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। 3. छ.ग. पैरामेडिकल कौंसिल से रेडियोग्राफर /क्ष–किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए।
13	Ward Attendant - NMHP	NMHP	8800	4	2	1	1	-	सेकेण्डरी उत्तीर्ण के साथ एवं अस्पताल में कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव।
14	Support Staff - Mental Health Unit Sweeper	NMHP	8800	4	2	1	1	-	8th Passed
15	Dental Assistant	NUHM	12000	7	4 (F-1)	1	1	1	Matriculation from recognized board. Preference can be given to candidates done 1 Year course of Lab Technician (Dental Work//Hygienist Or Dental Technician from Medical Collage. Experience : 2 Year Experience in Dental Collage Clinic only Govt Health Facility Experience should be considered.
16	ANM - NUHM	NUHM	12000	12	10 (05-PWBD -OL)	02 (01-PWBD-OL)	-	-	12th Passed, ANM Passed from INC affiliated Training Center & Live Registration in CG Nursing Registration Council.
17	Pharmacists - NUHM	NUHM	16500	2	-	2	-	-	Degree Or Diploma in Pharmacy (50%)& Registration in Pharmacy Registration Council
18	X-Ray Technician - NUHM	NUHM	14000	6	3	1	1	1	1. 10+2 पध्दति में 12 वीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. क्ष–किरण तकनीशियन/रेडियोग्राफर का छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। 3. छ.ग. पैरामेडिकल कौंसिल से रेडियोग्राफर /क्ष–किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए।
19	Nursing Officer - UHWC	NUHM	16500	23	12 (F-03) (05 PWBD -OL)	04 (F-01) (01PW BD-OL)	01	6 (F-01)	BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council. **(Final Merit List prepared on the basis of order priority. like 1&02)**
20	MPW (Male) - UHWC	NUHM	14000	31	23 (05 PWBD -OL)	03 (01PW BD-OL)	03	02	Must have passed Higher Secondary Examination (10+02) examination with Biology subject.) One year Diploma in Multipurpose Worker Training or equivalent training from training center recognized by the State Government with registered in Chhattisgarh Paramedical Council.
21	Jr. Secretrial Assistant - LDC - UHWC	NUHM	12000	28	22 (F-06) (05PW BD-OL)	03 (01PW BD-OL)	1	02	12th Passed with at least 01 year computer diploma
22	Class - IV - UHWC	NUHM	10000	27	19 (F-05) (05 PWBD -OL)	04 (F-01) (01PW BD-OL)	1	03 (01P WBD -OL)	10th passed
Total				**185**					

टीप :– पदवार रिक्तियों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है।

OL – One Leg, OA – One Arm, F– Female

PWBD – Person with Benchmark Disability के पद OA/OL वाले दिव्यांगजनों के लिये है।

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी रायपुर जिले की वेबसाईट www.raipur.gov.in में देखा किया जा सकता है।

आवेदन संबंधी दिशा निर्देश :–

1. यह पद पूर्णतः संविदा आधारित है, संविदा भर्ती के संबंध में आरक्षण व अन्य शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के नियम एवं शर्तों के अनुसार लागू होंगे।
2. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित जिले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
4. एक से अधिक पदों में भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।
5. उपरोक्त विज्ञापित पदों हेतु अनुभव शासकीय संस्थान, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं का ही मान्य होगा। अनुभव आवेदित पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र/समान कार्य प्रकृति का होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का ओवरराईटिंग/त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जावेगा।

   5.1 आवेदित पद से संबंधित कार्यानुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 02 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को पद से संबंधित कार्यानुभव प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक, अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रदान किया जावेगा।

   5.2 सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांकएफ 9–33/2021/1/5 दिनांक 17.09.2021 के द्वारा गठित समिति के अनुशंसा के आधार पर छ.ग. राज्य शासन के निर्णयानुसार कोरोना वैशविक महामारी के दौरान छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्था में एवं 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 अंक बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित संस्थानों के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र साहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव किया जा सकता है। पदों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है अथवा विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।
8. चयन के उपरांत किसी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो की गई नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
9. आवश्यकतानुसार प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला मुख्यालय में की जावेगी। जिसमें शामिल होने के लिये अभ्यर्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. विज्ञापन की तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. उक्त भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों के योग्यता के आधार पर पात्र अपात्र करने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा।
12. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

आयु सीमा :–

1. संविदा भर्ती के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी।
2. आयु की गणना अनुबंध वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2025 के अनुसार की जावेगी।

संविदा अवधि एवं संविदा नियम :–

1. संविदा सेवा की अवधि नियुक्ति दिनांक से 31 मार्च 2025 तक के लिये होगी। जो कि प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों/अधिकारियों का वार्षिक कार्यमूल्यांकन कर अनुसंशा, संविदा सेवा की निरंतरता का निर्धारण किया जा सकेगा।
2. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय या अन्य राशि प्रावधानित ROP अनुसार देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नही होगा।

चयन की प्रक्रिया :–

1. प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरान्त दावा–आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य दिशा–निर्देश कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट www.raipur.gov.in में प्रकाशित किया जावेगा। इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थियों को अन्य किसी भी माध्यम से भर्ती संबंधी पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।
2. प्राप्त आवेदनों में से मेरिट अनुसार रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये गये संख्या अनुसार अभ्यर्थियों को पद अनुरूप दस्तावेज सत्यापन/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आहूत किया जावेगा।

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना

3. आवेदन प्रारूप के साथ एवं कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेजों एवं एक स्व–प्रमाणित प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
   - ✓ 5वीं की अंकसूची। (सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु तथा जन्मतिथि प्रमाण हेतु अन्य दस्तावेज)
   - ✓ 10वीं की अंकसूची जन्मतिथि प्रमाण हेतु।
   - ✓ 12वीं की अंकसूची।
   - ✓ निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंकसूची।
   - ✓ निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
   - ✓ छ.ग. काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु लागू है संलग्न करना अनिवार्य है।
   - ✓ जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
   - ✓ सक्षम अधिकारी द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
   - ✓ छ.ग. राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
   - ✓ संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो (अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नही होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा।)
   - ✓ पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस, वोटर आई.डी., पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि।)
4. उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत ना करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरान्त किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।

लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवीण्य सूची :–

1. अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनायी जावेगी :–

- शैक्षणिक योग्यता – अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षो के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65 प्रतिशत। ए.एन.एम./जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिये शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 60 प्रतिशत।
- अनुभव – अधिकतम 10/15 अंक, एन.एच.एम. में कार्यरत् अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 03 अंक) तथा अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 02 अंक)। ANM/GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिए अनुभव के 4 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 20 अंक दिया जाना प्रावधानित है। अनुभव पद के अनुरूप ही मान्य होगा।
- लिखित/कौशल/साक्षात्कार परीक्षा – 20 अंक (पद के अनुरूप लिखित/कम्प्युटर बेस्ड/स्कील टेस्ट/साक्षात्कार आदि के स्वरुप कौशल परीक्षा ली जावेगी।
- अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों (20 अंक) का 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए विज्ञापित रिक्तियों में इन वर्गों के लिए न्युनतम अर्हक अंक 20 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यार्थी को अपात्र माना जावेगा।
- पद क्रमांक 13, 14 एवं 22 हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के 85 प्रतिशत लिया जावेगा तथा अनुभव हेतु 10/15 (अधिकतम 05 वर्ष के लिए NHM में कार्यरत अभ्यार्थियों को अधिकतम 15 अंक प्रतिवर्ष हेतु 03 अंक अन्य अभ्यार्थियों हेतु अधिकतम 10 अंक प्रतिवर्ष हेतु 02 अंक)

टीप :– छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा।

- एक से अधिक प्रकार के अनुभवों में अधिकतम अंक वाले अनुभव का लाभ दिया जावेगा।

1. कौशल परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंक के योग के आधार पर अभ्यर्थियों को मेरिटक्रम अनसुार आमंत्रित किया जावेगा।
2. अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक एवं लिखित/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के अंक के योग के आधार मेरिटक्रम अनुसार तैयार किया जावेगा। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी उपस्थित नही होता है, तो उनकी दावेदारी निरस्त कर दी जावेगी।
3. प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत एवं 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरें जा सके।
4. अंतिम चयन सूची व प्रतीक्षा सूची की वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी न्यूनतम एक वर्ष तक वैध रहेगी।

अनुभव 10/15 अंक –

1. अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किये जावेंगे। (एन. एच. एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक)।
2. अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित) केवल शासकीय अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं का ही मान्य होगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यार्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे। निशुल्क सेवा अथवा शासकीय निधि से भुगतान नहीं किये गए पदों के अनुभव अंक मान्य नहीं किये जायेगा। अनुभव/अनापत्ति प्रमाण

पत्र संबंधित पद का नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश तथा वेतनमान की प्रति देना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव का अंक अमान्य किया जायेगा।

3. कोरोना वैशविक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना है एवं सामान्य स्थित में नियुक्त संविदा (अनियमित) कर्मचारी है उन्हें अनुभव के अधिकतम 15 अंक तक दिया जाना है। इस प्रकार एक ही कर्मचारी को दोनो अनुभव के अंक नहीं दिया जावेगा। (जिन्हे शासकीय मद से सेवा अवधि का मानदेय दिया गया है)।
4. विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने के उपरांत ही किये गए कार्यों का कार्य अनुभव मान्य किया जावेगा।
5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में जारीकर्ता कार्यालय का वैद्य ई–मेल आईडी तथा दूरभाष संख्या अंकित होना अनिवार्य है।

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते एवं दिशा–निर्देश :–

1. ऑनलाइन आवेदन करने हेतु रायपुर जिले की वेबसाइट raipur.gov.in में जाकर आवेदन करें।
2. अभ्यार्थी अपने मोबाईल नंबर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें तत्पश्चात् पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड अभ्यार्थी के मोबाईल पर प्राप्त होगा, पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करें।
3. आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिये गये दिशा–निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन करें।
4. आवेदन करने के पश्चात् सबमीट (Submit) कर आवेदन का प्रिंट निकालकर आवेदन स्वयं हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से अपलोड करें अन्यथा आवेदन पूर्ण नहीं माना जावेगा।
5. हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करने के पश्चात् पावती प्रिंट करके सुरक्षित रखें, जिसे दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. उम्मीद्वारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना होगा, जिसमें समस्त दस्तावेज, (शैक्षणिक, जाति, निवास पंजीयन, दिव्यांगता) वर्तमान में अपलोड नहीं करना होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण में आवेदकों के समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जावेगा।
7. ऑनलाइन भरे हुए आवेदन में तथा दस्तावेजों के परीक्षण के समय समानता नहीं पाये जाने पर किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए आवेदक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। त्रुटि पाये जाने की अवस्था में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी अथवा अभ्यार्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नही होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जावेगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
9. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।
10. जिन पदों की शैक्षणिक योग्यता या अंकसूची में ग्रेड अंकित है, ऐसे अभ्यर्थियों को अपने शिक्षण संस्थान के सक्षम अधिकारी के द्वारा प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना अंकों में कराकर ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
11. विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता के क्रम के अनुसार भर्ती में चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। यदि 02 या 02 से अधिक आवेदकों के कुल प्राप्तांक समान हो जाते है तो उनके चयन की प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :–
    1. शैक्षणिक योग्यता का भारांश अंक
    2. कौशल परीक्षा के अंक
    3. आयु (अधिक आयु वाले आवेदकों को प्राथमिकता दिया जावेगा)
12. दावापत्ति के दौरान अभ्यर्थियों के द्वारा अतिरिक्त/पूरक दस्तावेज अलग से स्वीकार नही किया जावेगा एवं दावापत्ति की अंतिम तिथि पश्चात् किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा। साथ ही अपना पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. दिव्यांगजनों का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत् अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
16. शासन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा भर्ती पर लागू होने वाले, समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
17. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत उक्त नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
18. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा। जो सर्वमान्य होगा।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित।)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–रायपुर (छ.ग.)